(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1153—एक/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.06.2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 756/निगरानी/2009—10.

....

1—राजन सिंह पुत्र श्री मजबूत सिंह
निवासी ग्राम मूढ़रा वहादर तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर म0 प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0 प्र0
2—लक्ष्मण सिंह पुत्र जुहार सिंह
3—रमेश चन्द्र पुत्र श्री परमानन्द
निवासीगण ग्राम मूढ़रा वहादर तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर म0 प्र0

———अनावेदकगण

श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेश पाराशर पैनल अभिभाषक अनावेदक—1
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक—2, 3

....

आदेश
(आज दिनांक 16/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.11 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मूढरा बहादर की भूमि सर्वे कमांक 13 रकवा 48.108 में से 1.045 है0 का बंटन तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 25/89–90/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 5.2.90 द्वारा किया गया। प्रकरण में जांच के दोरान अनियमिततायें पाये जाने पर अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई और प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर उक्त वंटन निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 756/निगरानी/09–10 पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 10.6.11 को अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा आदेश पारित करते हुये अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पात्र एवं उसके द्वारा धारित भूमि को देखते हुये दिनांक 2.10.84 के विशेष उपबंध अधिनियम के अनुसार भूमि धारक होने से व्यवस्थापन भूमि स्वामी अनावेदक 2, 3 के साथ घोषित किया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर काफी श्रम करके कृषि योग्य बनाया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा एक झूठी शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में काफी समय बाद लिया तथा आवेदक के विरूद्व आदेश पारित कर व्यवस्थापन आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

3–अनावेदक कमांक–1 शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक 2, 3 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदक को जो बंटन किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। अनावेदक को किया गया बंटन सही एवं उचित है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण कमांक 25/अ–19/1989–90 आदेश दिनांक 58.02.90 से किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा काफी लंबे समय के वाद स्वमेव निगरानी में लेते हुये प्रकरण कमांक 437/1997–98/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.9.98 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में हुये व्यवस्थापन को निरस्त किया गया है, जबकि अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में काफी समय के अंतराल के वाद लिया है। निश्चित समय के अन्दर में नहीं है, दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसको सूचना पत्र जारी किये बगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है। आवेदगण द्वरा उक्त पटटे पर प्राप्त भूमि पर काफी धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है उसमें टयूवेल पंप लगाकर कृषि योग्य बनाया है। इसलिये अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुये पटटे निरस्त करने से आवेदकगण को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है इस संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0 एन0 161, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0 एन0 67, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010 (4) ए0 पी0 एल0 जे0 178 आर0 एन0 1996, 137, माननीय एस0 सी0 1969 1297, आर0 एन0 1990, 77 आर0 एन0 1992 163,** न्याय दृष्टांतों में अभिमत दिया गया है, कि स्वमेव निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिये। काफी अंतराल के वाद नहीं एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं करना चाहिये, कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है व कतई उचित एवं नियमानुकूल नहीं है । इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.98 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर

संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.6.2011 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर का प्रकरण क्रमांक 437/स्वमेव निगरानी/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 24.9.98 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 756/निगरनी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। अतः तहसीलदार मुंगावली का प्रकरण क्रमांक 25/अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 5.02.90 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर